संख्याः 3/2016 /जी-1- 207 /दस-2016-226/2008 टी0सी0-।।

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विषयः- एक ही आवास में रहने वाले स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं स्वाशासी संस्थानों में सेवायोजित पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-जी-1-1795/दस-81-209-81, दिनांक 15 दिसम्बर,1981, शासनादेश संख्या-जी-1-2569/दस-83-209/81, दिनांक 28 फरवरी,1984, शासनादेश संख्या जी-1-392(1)/दस-2000-206-2000, दिनांक 28 अप्रैल, 2000 तथा शासनादेश संख्या-1/2015/जी-1-01/दस-2015-226/2008टी0सी0-।।, दिनांक 11 फरवरी, 2015 जिसमें पति तथा पत्नी यदि दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रह रहे हैं तो पति तथा पत्नी दोनों को उनकी देयता के अनुसार मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता का प्रावधान किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं स्वाशासी संस्थानों में पति तथा पत्नी दोनों अथवा किसी एक के कार्यरत होने की दशा में मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) पति तथा पत्नी दोनों स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में सेवायोजित होने अथवा कोई एक प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में होने और दूसरा उक्त संस्थानों अथवा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में सेवायोजित होने एवं एक ही (किराये के अथवा अपने आवास) आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को उनकी देयता के अनुसार मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा बशर्ते दोनों मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूरी करते हों।

-2-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) पति तथा पत्नी दोनों स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में सेवायोजित होने अथवा कोई एक प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में होने और दूसरा उक्त संस्थानों अथवा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय निकायों, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में सेवायोजित होने पर उन्हें सरकारी आवास आवंटित होने की स्थिति में उसी आवास में रहने वाले प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत पति/पत्नी को मकान किराया भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(3) स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उपरोक्त उप प्रस्तर-(1) के अनुसार मकान किराया भत्ता उसी दशा में अनुमन्य होगा जब उक्त संस्थाएं इस पर होने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम होंगी और इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगी। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी व्ययभार वहन नहीं किया जायेगा और न ही सहायता के रूप में कोई अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी।

2- उपरोक्त व्यवस्था इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा पूर्व के प्रकरण पुनरोद्घाटित नहीं होंगे।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव

संख्या- 3/2016 /जी-1- 207 (1)/दस-2016-226/2008 टी0सी0-।।, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6 निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7 प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम/निगम, उत्तर प्रदेश।
8 निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in